न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व विविध पुनर्विचार प्रार्थना–पत्र संख्या 74 / 2023 (2023 / 86)

प्रार्थी :–

प्रेमराज पुत्र स्व0 चुन्नीलाल, जाति करवा (माहेश्वरी), निवासी मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मूलसिंह पुत्र स्व0 शंकरदान, जाति चारण, निवासी उगुणा बास, मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत मथानिया जरिये सरपंच एवं पंचायत अधिकारी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.07.2016 जो न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 12 / 2014 मूलसिंह बनाम ग्राम पंचायत मथानिया वगैरा में पारित किया गया।

––––

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मुरलीधर बूब व अभिषेक बूब (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री राधेश्याम माकड़ (अप्रार्थी संख्या 01)।

–: आदेश :– दिनांक :– 29.05.2024

प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थना–पत्र आदेश दिनांक 26.07.2016 को न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 12 / 2014 बअनवान मूलसिंह बनाम ग्राम पंचायत मथानिया वगैरा में पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था परन्तु निगरानी कर्ता मूलसिंह ने निगरानी प्रस्तुत कर स्व0 शिवकरण के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज करवाया। प्रार्थी ने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2016 को चुनौती देकर अपास्त करवाने के लिए यह पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की है।

प्रार्थी द्वारा पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो अप्रार्थीगण को विधिवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:16 IST
Reason: SelfAttested

तामील हुए। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम माकड़ ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत मथानिया से मूल अभिलेख तबल किया गया। प्रकरण में मूल अभिलेख प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 02.05.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 29.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियन्ता से मिलकर दिनांक 27.06.2019 को प्रार्थी की दुकान का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाया। प्रार्थी को पट्टा खारिज होने की जानकारी दिनांक 27.06.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 एवं सहायक अभियन्ता से हुई। प्रार्थी की ओर से यह पुनर्विचार याचिका जानकारी की तारीख से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जा रही है। देरी को माफ करने का माकुल व सद्भाविक कारण होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर पुनर्विचार याचिका के पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब में बताया कि प्रार्थी द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य बतलाये गये वह गलत हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ने सहायक अभियन्ता से मिलकर प्रार्थी की दुकान का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कराया है तथा प्रार्थी का उक्त कथन भी गलत हैं कि उसे पट्टा खारिज होने की जानकारी दिनांक 27.06.2019 को हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत मथानियां के स्व. शंकरदान जी दिनांक 22.02.1998 को सरंपच थे। स्व. शंकरदान जी एवं स्व. शिवकरण जी दोनों सगे भाई थे। दिनांक 22.02.1998 को शंकरदान जी व शिवकरण जी को पट्टे जारी किए गए। शंकरदान जी के पट्टे के पूर्व दिशा में भाई शिवकरण का बाड़ा दर्शाया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 01 के पिताजी स्व0 शंकरदान जी ने अपने हिस्से की जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दी जिसमें भी शिवकरण का पड़ौस अंकित हैं। स्व. शंकरदान के पूर्व दिशा में उनके भाई शिवकरण की मिलकियत की जमीन थी इसी कारण से पट्टे एवं विक्रय पत्र में पूर्व दिशा में शिवकरण का पड़ोस अंकित किया गया हैं। स्व. शिवकरण ने अपनी पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:16 IST
Reason: SelfAttested

सुद जायदाद प्रकाश बूब एवं कान्ता बूब को बेचान की। प्रकाश बूब व कान्ता बूब ने अपनी खदीदसूदा जमीन विष्णु करवा एवं सरला करवा को बेचान की। अप्रार्थी संख्या 01 को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद प्रार्थी एवं अन्य खरीदारों को पक्षकार नहीं बनाते हुए शिवकरण से मिलीभगत करते हुए निगरानी प्रस्तुत कर पट्टे को खारिज करवा दिया। मथानियां ग्राम जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आ जाने से ग्राम पंचायत को पट्टे के बाबत् सुनवाई करने का अधिकार नहीं हैं। न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.07.2016 के द्वारा मामला ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया। ग्राम पंचायत रिमाण्ड आदेश की पालना में सुनवाई करने में सक्षम नहीं हैं। ग्राम पंचायत मथानियां द्वारा न्यायलय में पुनर्विचार याचिका को प्रस्तुत करने की तारीख तक न्यायालय के रिमाण्ड करने के आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिनांक 26.07.2016 पर पुनर्विचार किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक हैं।

प्रार्थी ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अपील नहीं करके उक्त निगरानी पेश की। धारा 61 के अन्तर्गत अपील 30 दिन की अवधि के अन्दर ही प्रस्तुत की जा सकती थी। धारा 61 (3) के अनुसार प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। प्रार्थी के अधिकार आदेश दिनांक 26.07.2016 से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 26.07.2016 की जानकारी होने के तुरन्त पश्चात् पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थी के पक्ष में खरीददार द्वारा विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाये जा चुके है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2008(3) डीएनजे पृष्ठ संख्या 1441 के पद संख्या 52, 2012(2) डीएनजे पृष्ठ संख्या 602 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2009(3) डीएनजे पृष्ठ संख्या 357 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विक्रय पत्र रद्द करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है। इस आधार पर भी प्रार्थी की पुनर्विचार याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि इनके द्वारा अपनी खरीद सुदा जायदाद के स्वामित्व की घोषणा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत् सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सं. 4 जोधपुर महानगर में वाद प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:46:16 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 17.09.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी 2012 (1) डी.एन.जे. पृष्ठ संख्या 506 धर्मसिंह बनाम एडीएम झुझनूं वगैरा में अभिनिर्धारित किया गया हैं कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं निगरानी के आदेश निरस्त करते हुए यह निर्णय पारित किया गया हैं कि स्वामित्वों के अधिकारो बाबत् दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ही प्रभावी होगा। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1) AIR 2009 (S.C.) Page No. 3207
2) AIR 2010 (S.C.) Page No. 2472
3) 2003(2) WLN Page No. 172
4) 2013(2) CCC Page No. 484 (S.C.)
5) 2011(3) CCC Page No. 006 (S.C.)
6) 2012(2) CCC Page No. 063 (KERALA)
7) 2014(1) CCC Page No. 111 (S.C.)
8) 2013(1) CCC Page No. 75 (S.C.)
9) 2018(3) CCC Page No. 592 (S.C.)
10) 2007 (2) DNJ (Raj.) Page No. 693
11) 2012 (1) DNJ (Raj.) Page No. 506
12) 2008 (2) DNJ (Raj.) Page No. 735
13) 2013 (3) DNJ (Raj.) Page No. 1050
14) 2008 (3) DNJ (Raj.) Page No. 1679
15) 2008 (3) DNJ (Raj.) Page No. 1441
16) 2012 (2) DNJ (Raj.) Page No. 602
17) 2009 DNJ (S.C.) Page No. 357

अप्रार्थी ने लिखित बहस में बताया कि पुनर्विचार याचिका आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिवस के पश्चात् 2 वर्षों से अधिक की देरी से प्रस्तुत की गई हैं एवं धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रावधान उक्त पुनर्विचार याचिका के सम्बन्ध में लागू नहीं होते हैं इसलिए पुनर्विचार याचिका कतई धारित नहीं की जा सकती हैं एवं पुनर्विचार याचिका प्रस्तुति में देरी को क्षमित नहीं किया जा सकता। पुनर्विचार याचिका निगरानी याचिका के निर्णय दिनांक 26.07.2016 के विरूद्व अत्यधिक देरी से प्रस्तुत की गई हैं जबकि निर्णय की जानकारी प्रार्थी / पुनर्विचार याचिकाकर्ता को शुरू से थी। परन्तु प्रार्थी जानबुझकर न्यायालय के समक्ष समय रहते नहीं आया इसलिए देरी को क्षमित नहीं किया जाए। प्रार्थी द्वारा देरी जानबुझकर बदनियतिपूर्वक कारित की है इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती हैं कि प्रार्थी प्रश्नगत आदेश की जानकारी दिनांक 27.06.2019 को अंकित कर रहा हैं जबकि पुनर्विचार याचिका दिनांक 01.08.2019 को प्रस्तुत की है। प्रार्थी का दिनांक 27.06.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:16 IST
Reason: SelfAttested

को जब पट्टे की भूमि का विद्युत कनेक्शन विच्छेद हो गया और उसे शिवकरण जी के पट्टा खारिज होने की जानकारी हो गई तो वह तुरन्त न्यायालय में क्यों नहीं आया। इस दौरान प्रार्थी ने दिनांक 01.08.2019 तक इन्तजार क्यों किया इसका कोई स्प्ष्टीकरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं हैं।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने आगे बतलाया कि पुनर्विचार याचिकाकर्ता / प्रार्थी इस तथ्य को उजागर करने में पूर्णतय विफल रहा है कि पुनरीक्षण आदेश में क्या विधिक त्रुटि है और क्या सारवान की तथ्य की भूल की गई है। इसके विपरीत आलौच्य पट्टा संख्या 8 दिनांक 22.02.1998 जो ग्राम पंचायत मथानियां द्वारा जारी किया गया व 300 वर्गगज से बहुत अधिक क्षेत्रफल का पट्टा हैं जो कि 1190 वर्गगज का हैं जबकि 1190 वर्गगज का पट्टा बिना राज्य सरकार या उसके सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बगैर जारी ही नहीं किया जा सकता इसलिए आलौच्य पट्टा शुरू से ही प्रभावहीन व शुन्य हैं। प्रार्थी अपनी पुनर्विचार याचिका न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को जानबुझकर खुलासा नहीं कर रहा हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना श्रवणाधिकार व शक्तियों के 1190 वर्गगज का पट्टा कैसे व किन नियमों के तहत जारी किया गया एवं प्रार्थी यह जानता हैं कि आलौच्य पट्टा धारा 157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के विपरीत जाकर जारी किया गया हैं जिसे पुनरीक्षण याचिका द्वारा खारिज किये जाने में न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की हैं।

प्रार्थी के सगे भाई विष्णुलाल की पत्नि श्रीमती सरला करवा ने प्रश्नगत भूमि के पूर्व मालिक शंकरदान जी से दिनांक 27.08.1983 को क्रय की है। सरला करवा के पंजीकृत विक्रय विलेख में पड़ौस अंकित किए गए है जिसमें स्पष्ट रूप से पूर्व एवं दक्षिण दिशा में विक्रेता शकंरदान की शेष भूमि अंकित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी के सगे भाई विष्णुलाल करवा पुत्र चुन्नीलाल करवा ने शंकरदान जी से दिनांक 27.08.1983 को जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख भूमि क्रय की है इसमें भी दक्षिण दिशा में विक्रेता शंकरदान जी की शेष भूमि उल्लेखित है। विक्रय विलेख के पड़ौस से स्पष्ट हैं कि वह शंकरदान जी की निजी भूमि का भाग हैं। इसके अतिरिक्त अमरावत संस्थान मथानिया में विक्रेता शंकरदान के हक में तस्दीक के रूप में एक रसीद उल्लेखित की हैं कि शंकरदान [illegible] पुराना कब्जा बाड़े के रूप में हैं जिसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए [illegible] हुई हैं। इसके साथ दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:16 IST
Reason: SelfAttested

21.08.1983 का ग्राम पंचायत मथानिया का अनुमोदन आदेश भी उपलब्ध हैं जिसके द्वारा शकंरदान जी को अपने कब्जे के बाड़े के रूप में निर्माण कार्य की अनुमति दे रखी हैं और बाड़े के चारों तरफ चारदीवारी बनाने की अनुमति भी दी गई हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि प्रश्नगत आलोच्य पट्टा संख्या 8 शिवकरण ने अवैध रूप से शंकरदान जी की विधिक मालिकाना हक व कब्जे की जानकारी होते हुए अवैध पट्टा प्राप्त किया हैं इसलिये पुनर्विचार याचिका के द्वारा पुनरीक्षण आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं हैं। अन्त में प्रार्थी की पुनर्विचार याचिका खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पुनर्विचार याचिका का निस्तारण करने से पहले प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम की बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियन्ता से मिलकर दिनांक 27.06.2019 को प्रार्थी की दुकान का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाया। प्रार्थी को पट्टा खारिज होने की जानकारी दिनांक 27.06.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 एवं सहायक अभियन्ता से हुई। प्रार्थी की ओर से यह पुनर्विचार याचिका जानकारी की तारीख से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बतलाया कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में गलत तथ्य बतलाये है कि उसे पट्टा खारिज होने की जानकारी दिनांक 27.06.2019 को हुई प्रार्थी को पट्टा खारिज होने की जानकारी दिनांक 27.06.2019 से पहले ही हो गई थी। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि प्रार्थी को पट्टा खारिज होने की जानकारी दिनांक 27.06.2019 से पूर्व हो गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मे देरी के जो कारण बतलाए गए है वो सद्भाविक होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पुनर्विचार याचिका अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पुनर्विचार याचिका का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार से है कि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि शिवकरण चारण पुत्र प्रभूदान चारण को ग्राम पंचायत मथानिया द्वारा पट्टा संख्या 08 दिनांक 22.02.1998 को 1190 वर्गगज का जारी किया गया जिसकी निगरानी अप्रार्थी संख्या 01 ने न्यायालय के समक्ष पेश की। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत मथानिया से मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024-09.26 11:16:16 IST
Reason: SelfAttested

अभिलेख तलब किया गया। मूल अभिलेख का परीक्षण करके दिनांक 26.07.2016 को न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर आदेश पारित किया गया जिसमें न्यायालय ने बतलाया कि शिवकरण चारण को 1190 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया जबकि जिन प्रावधानों के तहत शिवकरण चारण को पट्टा जारी किया गया है उसमें अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गगज है। यदि उपरोक्त प्रावधानो के तहत 300 वर्गगज से ज्यादा नाप के भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी से स्वीकृति/कार्यवाही का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है लेकिन शिवकरण चारण को जारी 1190 वर्गगज के पट्टे में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन का अभाव पाया गया। प्रार्थी का पुनर्विचार याचिका में मुख्य कथन रहा कि उसने उक्त जायदाद को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद की तथा उसे पंचायत निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। इस न्यायालय को केवल पट्टे की वैधानिकता देखने का अधिकार है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना कर पट्टा जारी किया गया है या नहीं, अगर प्रार्थी प्रेमराज पंचायत निगरानी में पक्षकार होता तो भी न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का परीक्षण कर आदेश पारित किया जाता। हस्तगत प्रकरण में भी न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख तलब कर उसका परीक्षण कर आदेश पारित किया गया। अतः न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 12/2014 में पारित आदेश 26.07.2016 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की पुनर्विचार याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.26 11:16:16 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)